

फर्द अहकाम

बनाम

गालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

सं. / 202.....

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27-12-24	<p>पत्रावली पैरा छुई, प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण से संबंधित मूल वाद अन्तर्गत धारा-4 नियम-3 जा० द्दी० के तहत समय दायरी व समय पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA भी समय दायरी व समय पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली क्रमशः शुमार होकर नंबर से कम होकर काखिल पत्तर ही।</p> <p style="text-align: center;">✓ उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>		